



Neutral Citation No. - 2026:AHC:1114

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पी.आई.एल.) संख्या - 3969 वर्ष 2025

श्री निवास कुमार एवं एक अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 7 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता : संजय सिंह सेंगर

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी., सुधीर भारती

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री ओम आनंद, तथा भूमि प्रबंधन समिति के विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर भारती को सुना गया।

2. प्रस्तुत लोकहित याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दाखिल की गई है :-

“(i) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 को निर्देशित किया जाए कि वे प्रतिवादी संख्या 5 से 8 के विरुद्ध कार्यवाही करें, जिन्होंने लोक उपयोग की भूमि पर अवैध रूप से मकान निर्मित कर लिया है।

(ii) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 को निर्देशित किया जाए कि वे याचिकाकर्ताओं के गाँव की विवादित भूमि के संबंध में उनके प्रकरण पर विचार करें।

(iii) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 को निर्देशित किया जाए कि वे याचिकाकर्ताओं के प्रत्यावेदन का, इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर, निर्णय करें।”

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि निजी प्रतिवादियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही में तहसीलदार द्वारा पारित बेदखली एवं हर्जाना आदेश के बावजूद उक्त आदेश का स्थल पर अनुपालन नहीं किया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि तहसीलदार द्वारा पारित बेदखली एवं हर्जाना आदेश के अनुपालन में प्लॉट संख्या 304 के संबंधित क्षेत्र से अतिक्रमण तत्काल हटाया जाना चाहिए।

4. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि प्लॉट संख्या 304 के संबंध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा दिनांक 12.07.2024 को बेदखली एवं हर्जाने का आदेश पारित किया गया है।

6. उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय पुस्तिका के पैरा 460 के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अधीन पारित आदेश के क्रियान्वयन/निष्पादन की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट है; अतः धारा 67 के अधीन पारित आदेशों के क्रियान्वयन/निष्पादन हेतु प्रस्तुत लोकहित याचिका विचारणीय नहीं है।

7. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, प्रस्तुत लोकहित याचिका इस अवलोकन के साथ निरस्त की जाती है कि उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय पुस्तिका के पैरा 460 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार आदेश के क्रियान्वयन/निष्पादन हेतु समुचित कार्यवाही विधि के अनुसार प्रारम्भ की जा सकती है।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

जनवरी 6, 2026

पी.एस.*

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।